

फर्द अहकाम

आगीख शनिघां बनाम गुजराती पत्रिका

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) शाहपुर
 केस संख्या न-5/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
	30/8/24	<p>वकील प्राणी उप. वकील प्राणी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हेतु एवं उक्त पत्रावली को आगे नहीं चलाने बाबत ऑफिशिकल पर नोट प्रेस का अंकन कर एवं हस्ताक्षर कर पत्रावली स्वारीज करने का निर्देश किया।</p> <p>सुना आज्ञा युक्ति वकील प्राणी स्वयं प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते व पत्रावली को आगे नहीं चलाने बाबत पत्रावली की ऑफिशिकल पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये हे। अतः पत्रावली में वकील प्राणी का नोट प्रेस अंकन स्वीकार कर पत्रावली स्वारीज की जाती है। पत्रावली निर्णित रकम लेकर दर्ज नंबर से कम ही व बिल पाद से हमफिता है।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p>सहायक कलक्टर शाहपुर (जिला-जयपुर) राज.</p>	